प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.09.2025

गाजियाबाद यातायात पुलिस का विशेष अभियान – 152 BNSS के अंतर्गत कार्यवाही

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को अतिक्रमणमुक्त, सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु लगातार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों — जैसे सड़क किनारे दुकानदारों, ठेली, खोखा, खोमचा आदि लगाने वालों के विरुद्ध 152 BNSS के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 03-09-2025 तक इस विशेष अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा कुल 2,455 दुकानदारों/ठेली/खोखा/खोमचा लगाने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उपरोक्त नोटिसों को यातायात पुलिस द्वारा संबंधित थानों के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया गया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगने की कार्यवाही प्रचलित है। **जवाब से संतुष्ट न होने की दशा में 223 BNS की उपधारा (क) में बाधा, क्षोभ, क्षति का जोखिम कारित करने की दशा में ₹2500 का जुर्माना या 06 माह तक की सजा या दोनों दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान, एवं उपधारा (ख) में मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करने की दशा में ₹5000 का जुर्माना एवं 01 वर्ष तक की सजा या दोनों दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।**

सभी यातायात निरीक्षक गणों को निर्देशित किया गया है, कि वो अपने अपने सब जोन में जहाँ पर अत्यधिक अतिक्रमण हो ऐसे 01-01 मार्गों का चिन्हीकरण कर संबधित थाना प्रभारी एवं नगर निगम/नगर पालिका से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमणमुक्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं, जिसका प्रभावी पर्यवेक्षण सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वारा किया जा रहा है।

यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप सड़कों पर होने वाले अस्थायी अतिक्रमण में उल्लेखनीय कमी आयी है, एवं कुल 205 अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमित किये गए स्थल से अतिक्रमण को हटा लिया गया है। नियमित कार्यवाही एवं प्रयासों से विजयनगर कट/विजयनगर बाईपास एन0एच0- 09 को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक कि गाजियाबाद पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त न हो जाये।

गाजियाबाद यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि: -

- सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला, खोखा, दुकान आदि लगाकर यातायात व्यवस्था में बाधा न उत्पन्न करें।
- सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।
- यातायात पुलिस के अभियान में सहयोग कर गाजियाबाद को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात वाला शहर बनाने में अपना योगदान दें।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 27.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी बेटी उम्र करीब 15 वर्ष बाथरुम से नहा कर निकली तो उसके हाथ में प्रेग्नेसी किट थी जब मैंने उससे पूछा उसके बारे में तो वह रोने लगी मेरे दोबारा प्यार से पूछने पर मेरी बेटी ने बताया कि बन्टी ने मुझे डेढ़ महीने पहले दुकान के बहाने जंगल में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया और बोला अगर किसी को तूने बताया तो तेरे लिए अच्छा नही होगा, डर के कारण मेरी बेटी ने किसी से नही बताया और अभियुक्त बंटी ने ही प्रेग्नेसी किट लाकर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 04.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बन्टी पुत्र राजू निवासी नेकपुर साबित नगर थाना मुरादनगर उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है तथा बताया कि मेरी वादिया व वादिया की पुत्री से जान पहचान थी। मैं वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर जंगल में गलत नियत से ले गया था जिसके साथ मैंने गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बन्टी पुत्र राजू निवासी नेकपुर साबित नगर थाना मुरादनगर उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 03.09.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जसवंत सिंह हाल पता राणा चौक के पास खोडा कॉलोनी गाजियाबाद मूलनिवासी गांव ममौदा कला जिला अलीगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को इतवार पुश्ता थाना खोडा के पास से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जसवंत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जसवंत सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद स्कूटी को पिछले साल शास्त्री पार्क के पास भजनपुरा दिल्ली से चोरी किया था। जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव कुमार पुत्र जसवंत सिंह हाल पता राणा चौक के पास खोडा कॉलोनी गाजियाबाद मूलनिवासी गांव ममौदा कला जिला अलीगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा व दिल्ली में पर चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।